न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 05/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/9

प्रार्थीः–

दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम खैरवा तहसील पाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र पुसाराम जाति घांची
2. पुसाराम पुत्र नेकाराम जाति घांची निवासीगण ग्राम खैरवा तहसील पाली जिला पाली
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली
4. सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम, श्री मोहनलाल वर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.05.1995 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा खैरवा में प्रार्थी की खसरा संख्या 1102/1 खातेदारी भूमि आयी हुई है, जिसके पास खसरा संख्या 1112 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। जैर निगरानी पट्टा रास्ते एवं खातेदारी भूमि पर जारी किया हुआ है। उक्त निःशुल्क पट्टा 40 बाई 60 का जारी किया हुआ है जबकि नियमों में 30 बाई 45 वर्गफीट का ही जारी किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में तथ्य छुपाकर एक फर्जी डिक्री प्राप्त कर ली, जिसकी पालना की आड में मुझे रोज परेशान किया जा रहा है। सिविल कोर्ट की डिक्री से यह तय नहीं होता कि उक्त पट्टा पंचायत नियमों की तहत जारी किया हुआ है। जैर निगरानी पट्टे की जानकारी मुझ प्रार्थी को दिनांक 29.12.2023 को हुई और नियत समय में जैर निगरानी याचिका पेश की। पट्टे की वैधता को जांचने का अधिकार न्यायालय हाजा को है। उक्त पट्टे का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही मिसल कायम की गयी है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किये, जिसे खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी याचिका भंवरलाल के पुत्र दिनेश कुमार ने पेश की है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली द्वारा दिनांक 23.01.2015 को आदेश पारित किया और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में डिक्री पारित की, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थी के पिता बतौर पक्षकार संयोजित थे। न्यायालय ने तनकी बनाकर तनकी संख्या 4 के जरिये जैर निगरानी पट्टे को सही बताया है। एक ही मामलें में दो जगह कार्यवाही नहीं की जा सकती है, यह अनुच्छेद 20(2) के तहत संविधान के विरूद्ध है। प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकार वर्ष 2011 से है लेकिन उनके द्वारा वर्ष 2024 में जैर निगरानी याचिका पेश की गई, जो कि म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना हो चुकी है तथा इजराय भी हो चुकी है और अप्रार्थी को कब्जा भी सुपूर्द हो चुका है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.05.1995 के विरूद्ध पेश की है। वकील अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी वर्ष 2011 में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद से ही हो गयी और उनके द्वारा यह निगरानी 13 वर्ष देरीना पेश की है तथा उक्त देरीना के सम्बन्ध में न तो म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया और न ही शपथ–पत्र, इसलिये उक्त निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। वकील प्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रार्थी पक्षकार नहीं था, इसलिये उन्हें जैर निगरानी पट्टे की जानकारी नहीं हुई, इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायती राज के तहत निगरानी पेश करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 13 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सा.द.) पाली द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 35/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2015 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री जारी की गयी है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने, जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Una Lal vs State of Rajasthan (2023:Rj-Jd;33690) And (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पट्टे के पड़ौस पूर्व दिशा में भवरनाथ पुत्र दरगाराम माली का बेरा, पश्चिम दिशा में रास्ता बेरों पर जाने का, उत्तर दिशा में रास्ता आम खेलों में जाने का तथा दक्षिण दिशा में भवरलाल पुत्र दरगाराम माली का बेरा अंकित है। उक्त पडौस के सन्दर्भ में आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि सभी दिशाओं में रास्ते और कृषि भूमि का अंकन किया हुआ है, साथ ही पूर्व एवं दक्षिण दिशा दोनों दिशाएं में भवरलाल का बेरा अंकित है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि भिन्न किसी अन्य भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

जैर निगरानी पट्टा अनु. जाति एवं अनु. जनजाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषकों आबादी भूमि/अनु. भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत दिनांक 05.05.1995 को जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1995 में राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 के तहत जारी किया गया परन्तु तत्समय राजस्थान पंचायती (सामान्य) नियम, 1961 प्रभावी थे तथा नियम 1961 के नियम 267(2)(क) के तहत पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीा शिल्पियों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके गृह बह गये है अथवा गृह स्थल बाढ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्गगज तक आबादी भूमि गाँव की आबादी में मुफ्त आवंटित कर सकेगी लेकिन जैर निगरानी पट्टा 40 बाई 60 फीट अर्थात् 2400 वर्गफीट का जारी किया गया है, जो कि नियम 267(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सा.द.) पाली में दिवानी मूल वाद संख्या 35/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2015 की पालना हेतु इजराय संख्या 07/2015 मांगीलाल बनाम भंवरलाल वगैरा के सम्बन्ध में पालना रिपोर्ट दिनांक 19.12.2023 के अनुसार मौके पर मलबा हटाकर 40 बाई 60 फीट क्षेत्रफल में नीवे खोदी गई और छीणे लगाई जाकर अस्थाई तारबंदी की गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं किया हुआ था जबकि जैर निगरानी पट्टे की शर्त संख्या 8 में स्पष्ट उल्लेख है कि इस भूमि पर आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर मकान या झौपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह काम नहीं किया गया तो भू–खण्ड वापिस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा, लिहाजा उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि पट्टाधारक द्वारा शर्त संख्या 8

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया हैं, जिस कारण प्रश्नगत पट्टे को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 25.04.1995 के पश्चात अगली बैठक दिनांक 30.05.1995 को हुई अर्थात् दिनांक 05.05.1995 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जबकि प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.05.1995 को जारी किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 05.10.2011 के अनुसार "दिनांक 05.05.1995 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं हुई थी न ही कोई पट्टा जारी किया गया था।" इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment made by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि "माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सा.द.) पांली द्वारा दीवानी वाद संख्या 35/2012 मांगीलाल बनाम भंवरलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2015, इस मामले को किस हद तक प्रभावित करता है ?" इस बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु प्रकरण में निहित विधिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पट्टा दिनांक 05.05.1995 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक आहूत ही नहीं की गई है, तो इस स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के कोरम में पारित प्रस्ताव के बिना ही सरपंच द्वारा स्वयं के स्तर से ही जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन एवं पट्टा जारी किए जाने का अधिकार है, यह अधिकार अकेले सरपंच को प्रदत्त नहीं हैं। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है और इसके पश्चात सरपंच को उस प्रस्ताव के अनुसार ही पट्टा जारी करना होता है। यदि सरपंच द्वारा विना पंचायत के प्रस्ताव के पट्टा जारी किया जाता है, तो यह अवैध माना जाएगा और इसे चुनौती दी जा सकेगी। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में विहित अवधि में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 25.04.1995 को हुई, जो स्थगित की गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसके पश्चात् पंचायत की बैठक दिनांक 30.05.1995 को आहूत की गई। इस मामले में पट्टा पर अंकित इबारत अनुसार उक्त पट्टा दिनांक 05.05.1995 को जारी किया गया है, जबकि इस दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक आहूत नहीं की गई। इस प्रकार सरपंच द्वारा बिना पंचायत प्रस्ताव के उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। माननीय सिविल न्यायालय (सा.द.) पाली द्वारा उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 10 में यह अंकन किया है कि "........ पट्टे को शून्य घोषित करवाने की कार्यवाई केवल सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है। ...." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रावाई को संशोधित, निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुर्नविचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस मामले में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ही पट्टा संख्या 3 दिनांक 05.05.1995 को जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जहां तक माननीय सिविल न्यायालय (सा.द.) पाली द्वारा पारित निर्णय का प्रश्न है, तो उक्त प्रकरण में इस पट्टे को चुनौती ही नहीं दी गई थी। उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पट्टे को शून्य घोषित किए जाने की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इस मामले में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना पट्टा जारी किया गया है, जिसे मान्यता प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.05.1995 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली